भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1928

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार क्षेत्र के लिए विधान

1928. श्री पुट्टा महेश कुमारः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापार से संबंधित गोपनीयता के लिए विधान की आवश्यकता पर कोई अध्ययन/अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में व्यापार से संबंधित गोपनीयता की सुरक्षा के संबंध में विधान की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(ग) देश में व्यापार से संबंधित गोपनीयता की सुरक्षा के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में व्यापार से संबंधित गोपनीयता और उनकी सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान/प्रचार कार्यकलाप शुरू किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में विगत पांच वर्षों के दौरान ऐसे आयोजनों/कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): जी हां, भारत के विधि आयोग ने देश में व्यापार से संबंधित गोपनीयता के लिए विधान की आवश्यकता पर अनुसंधान किया है।

भारत के विधि आयोग ने व्यापार से संबंधित गोपनीयता की सुरक्षा और आर्थिक जासूसी को रोकने के लिए विधान अधिनियमित करने के संबंध में शिक्षाविदों, सरकार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के विचार और राय आमंत्रित किए।

ये विचार-विमर्श, भारत के विधि आयोग द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग से प्राप्त एक रेफरेंस के अनुसरण में किए गए थे।

एकत्र किए गए इनपुट के आधार पर, मार्च 2024 में भारत के विधि आयोग ने "ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पिअनाश" नाम से 289वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें व्यापार से संबंधी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए विशिष्ट विधान अधिनियमित करने की सिफारिश की गई है।

इस रिपोर्ट में व्यापार से संबंधित गोपनीयता विधेयक का मसौदा भी शामिल था।

(ग): "ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पिअनाश" नामक 289वीं रिपोर्ट में दर्शाए गए अनुसार, भारत के विधि आयोग द्वारा किए गए परामर्शों के दौरान निम्नलिखित हितधारकों से परामर्श किया गया था।

क्रम.सं.	**हितधारक**	**संचालन का क्षेत्र**
1.	न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह	न्यायिक
2.	प्रोफेसर (डॉ.) एन. एस. गोपालकृष्णन, आईपीआर चेयर, कोचीन डॉ. नवीन गोपाल	शिक्षाविद्
3.	डॉ. अरुल जॉर्ज स्कारिया	शिक्षाविद्
4.	डॉ. तानिया सेबेस्टियन	शिक्षाविद्
5.	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	उद्योग
6.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	उद्योग
7.	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)	उद्योग
8.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)	सरकार
9.	श्री जॉन कैबेका, संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय	विदेशी सरकार

इससे संबंधित अधिक जानकारी विधि आयोग की उपर्युक्त रिपोर्ट में देखी सकती है, जो विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(घ) और (ङ): नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में डीपीआईआईटी- आईपीआर चेयर के सहयोग से आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) ने जुलाई 2023 में "व्यापार से संबंधित गोपनीयता की सुरक्षा" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया था।

पूरे भारत में सीआईपीएएम द्वारा नियमित रूप से आयोजित कुछ अन्य आईपी जागरूकता कार्यक्रम भी व्यापार से संबंधित गोपनीयता के विषय को अपने कार्यक्रमों में शामिल करते हैं।

*****